उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

विविध अपील (Miscellaneous appeal)वाद सं0 :–87 / 2023–24

रंथु साहु वगै0
बनाम
लखन साहु वगै0

25.4.24

1. अपीलार्थी रंथु साहु, पुनी साहु दोनों के पिता–भीम साहु, राजेन्द्र साहु, अनिल साहु, सुनिल साहु, रविन्द्र साहु चारों के पिता–देवलाल साहु सभी ग्राम–टिटिही थाना–कामडारा जिला–गुमला के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया के विविध अपील वाद सं0–07 / 2020–21 दिनांक–13.06.2023 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर रिवीजन दायर किया गया है।

अपीलार्थीगण के Miscellaneous appeal पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया।

2. अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–टिटिही थाना–कामडारा का खेवट सं0–2 से खाता सं0–16 एवं 18 बना है। प्रश्नगत भूमि खतियान में मझियस दर्ज है। अपीलार्थीगण जमीन्दार परिवार से आते है और मझियस भूमि जमीन्दार का विशेषाधिकार भूमि होता है। खेवट सं0–2 में दो खेवटदार थे जिसमें एक खेवटदार मदन साहु नावल्द मृत हो गये। अपीलार्थी खोता साहु के वंशज एवं उत्तराधिकारी है।

3. खेवट सं0–02 में कुल 343.21 एकड़ भूमि है। निबंधित पट्टा सं0–651 / 1935 दिनांक–21.06.1935 वाले पट्टा में 1045.88 एकड़ भूमि को निबंधित कराया गया है जो कि एकदम गलत एवं संदेहास्पद है। उक्त पट्टा में खाता प्लॉट एवं रकबा दर्ज नही है। उत्तरवादी का यह कथन कि खेवट सं0–3 का भूमि को जोड़कर 1045.88 एकड़ भूमि निबंधित पट्टा से प्राप्त है, जो गलत है। उक्त निबंधित पट्टा में केवल खेवट सं0–2 अंकित है। खेवट सं0–03 का कही भी उक्त निबंधित पट्टा में उल्लेख नही है। उत्तरवादी का यह कथन गलत है कि सम्पूर्ण मौजा का जागीरदार को खेवट सं0–3 की भूमि को 12 वर्षो के लिए लीज पर दिया गया था। खेवट सं0–03 में किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज नही है तो किस जागीरदार को लीज पर 12 वर्षो के लिए दिया गया था।

4. प्रश्नगत भूमि का जागीरदार खोतो साहु थे तो उन्हे 12 वर्ष के लीज में लिए गए भूमि का मालिक नही थे, तो उनको भूमि बिक्री करने का कोई हक अधिकार नही था। निबंधित बिक्री पट्टा अपने आप में ही संदेहास्पद है। निबंधित पट्टा को आधार मान कर उत्तरवादीगण के द्वारा दाखिल खारिज करा लेना गलत एवं न्याय संगत नही है। उत्तरवादीगण का बिक्री पट्टा गलत है। कानून में यह प्रावधान है कि कोई बड़ा दस्तावेज जिससे की झगड़ा हो और उक्त दस्तावेज के द्वारा न्यायालय को धोखा देकर अपने पक्ष में आदेश करा लिया गया हो तो उक्त दस्तावेज को

Scanned with OKEN Scanner

कभी भी निरस्त किया जा सकता है। A.I.R 1994 (S.C) "Withholding of vital document relevant to Litigation- It is fourd on court-guilty party is liable to be thrown out at any stage"

5. प्रश्नगत भूति का हाल सर्वे में सर्वे अधिकारी प्रतयेक प्लॉट ओर सरजमीन में जाकर सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के उपरान्त अपीलार्थी के पूर्वज भीमा साहु का दखल कब्जा पाया। खेवट सं0–2 का आर0 एस0 खाता सं0–16 एवं 18 बना जिसका हाल सर्वे में खाता सं0–94 बना है, जिसमें कुल 36 प्लॉट है जिसका कुल रकबा–24.05 एकड़ भूमि है। प्रश्नगत भूमि पर भीमा साहु का दखल कब्जा है। उत्तरवादीगण का यह कथन गलत है कि भीमा साहु के नाम पर हाल सर्वे में खाता सं0–94 बन गया जिसका अपील उत्तरवादी के द्वारा सी0एन0टी0एक्ट की धारा 89 के तहत् किया गया जिसका वाद सं0–11/1985 थी, जो पहले खारिज हो चुका है। उक्त वाद के खारिज होने के पश्चात अपीलार्थीगण के पूर्वज को बण्डा पर्चा को ही बहाल रखते हुए हाल सर्वे का खाता सं0–94 में अपीलार्थी के पिता–भीमा साहु के नाम पर नया खतियान फाईनल बना जिसमें 36 प्लॉट है तथा कुल रका–24.05 एकड़ है। J.L.J.R 2003(2) "If records if right is finally published, It shall be conclusive evidence that the record has been duly made according to Law"
6. उत्तरवादीगण का यह कथन कि बंटवारा वाद सं0–28/1956 दिनांक–02.04.1957 को हुआ एवं इजराय वाद सं0–31/1959 भोगला साहु के द्वारा किया गया। उक्त दोनों वादों में न तो अपीलार्थी को या अपीलार्थी के पिता को पार्टी बनाया गया था। दाखिल खारिज का आधार उत्तरवादी का 1935 का निबंधित बिक्री पट्टा है जिसमें सिर्फ खेवट सं0–2 दर्ज है और खेवट सं0–2 में कुल रकबा–343.21 एकड़ भूमि है, जबकि खेवट सं0–2 से निबंधित पट्टा में 1045.88 एकड़ भूमि क्रय किया गया है, जो गलत एवं न्यायोचित नही है।

अपीलार्थी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बसिया द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

1. खतियान की छाया प्रति।
2. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति।
3. खेवट की छाया प्रति।
4. निबंधित पट्टा सं0–651/35 की छाया प्रति।
5. A.I.R 1994(S.C) page 853 to 855 की छाया प्रति।
6. J.L.J.R 2003(2) page 708 to 714 की छाया प्रति।

उत्तरवादी का पक्ष

7. उत्तरवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बसिया के द्वारा विविध

Scanned with OKEN Scanner

वाद सं0–07/2021–22 दिनांक–13.06.2023 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है। अंचल अधिकारी कामडारा के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थीगण के अपील को निरस्त किया गया। प्रश्नगत भूमि का खाता सं0–16 कुल रकबा–27.95 एकड़ एवं खाता सं0–18 कुल रकबा–19.55 एकड़ है, जो मौजा–टिटही थाना–कामडारा जिला–गुमला में अवस्थित है।

8. प्रश्नगत भूमि का खतियान अपील सर्वे में खोतो वैगरह के नाम पर मझियस मालिक के रुप में बना है। प्रश्नगत भूमि खेवट सं0–2 की भूमि थी, जिसे खेवटदार खोतो साहु व मदन साहु थे। मदन साहु खतियान बनने के तुरंत बाद नावल्द मृत्यु हो गई। खेवट सं0–2 की सभी भूमि खोतो साहु के स्वामितव की हो गई। वर्ष–1935 में खोतो साहु को रुपयों की सख्त आवश्यकता पड़ी और उसने खेवट सं0–2 की सभी भूमि कुल रकबा–1045.88 एकड़ भूमि धुमा साहु, रामु साहु, भोगला साहु एवं अंधु साहु को निबंधित पट्टा सं0–651/1935 दिनांक–21.06.1935 के द्वारा उचित प्रतिफल राशि–4600.00 (चार हजार छः सौ रुपये) मात्र लेकर हस्तांतरित कर दिया तथा दखल भी उन्हे दे दिया।
9. प्रश्नगत भूमि क्रय करने के पश्चात केतागण धुमा साहु वगैरह अपनी क्रय की गई भूमि पर संयुक्त रुप से दखलकार हुए तथा जमीन्दार को मालगुजारी अदा करने लगें। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात भी सरकार द्वारा इन्हे रैयत मानते हुए प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी उनके नाम पर कायम की गई है। केता भोगला साहु के वारिस भिखवा साहु व साधुचरण साहु व उनकी माता द्वारा प्रश्नगत भूमि सहित अन्य भूमि के बंटवारा हेतु अन्य तीन केतागण के विरुद्ध बंटवारा वाद सं0–28/1956 दायर किया गया और वह बंटवारा वाद दिनांक–02.04.1957 के निर्णय व डिक्री द्वारा डिक्री किया गया और भोगला साहु के वारिसों के हिस्से की भूमि को अलग करते हुए फाइनल डिक्री भी पारित की गई जिसमें खाता सं0–16 व 18 की भूमि सम्मिलित है। दिनांक–31.01.1959 को फाइनल डिक्री बनाने के पश्चात इजराय वाद सं0–31/1959 में भोगला साहु के वारिसों को उनके हिस्से की जमीन पर न्यायालय की प्रक्रिया से दखल देहानी भी दिलाई गई जिसमें खाता सं0–16 रकबा–6.01 एकड़ भूमि वह खाता सं0–18 रकबा–2.37 एकड़ भूमि पर भी भोगला साहु के वारिसों को दखल देहानी दिलाई गई।
10. दखल देहानी के बाद भोगला साहु के वारिसों के नाम पर उनके हिस्से की भूमि का नामांतरण कर उनके नाम पर उसकी सरकारी माल गुजारी रसीद निर्गत किए जाने लगी और पूरे कार्यवाही में किसी के द्वारा कोई आपत्ति कभी भी नही की गई। हाल सर्वे में गलती से खाता सं0–16 व 18 की भूमि का प्रारंभिक ड्राफ्ट पब्लिकेशन/बण्डा पर्चा वर्त्तमान अपीलार्थीगण के पूर्वज भीमा साहु वगैरह के नाम पर बन गया था, जिसकी जानकारी होने पर उत्तरवादीगण द्वारा उक्त बण्डा पर्चा को धारा–89 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 के अन्तर्गत चुनौती दी गई जिसका वाद सं0–11/1985 था। उत्तरवादीगण के दखल कब्जा और सुसंगत दस्तावेजों के आलोक में सर्वे अधिकारियों के द्वारा भीमा साहु वगैरह का नाम हटाकर उत्तरवादीगण के नाम प्रविष्ट करने का आदेश पारित किया गया। उक्त वाद में आदेश पारित होने के पश्चात् उत्तरवादीगण के हिस्से की भूमि का बण्डा पर्चा भी तैयार हुआ और हाल सर्वे का अंतिम खतियान का प्रकाशन भी उनके नाम हुआ जिसका हाल सर्वे खाता सं0–92 एवं 93 हुआ है।
11. उक्त आदेश के विरुद्ध वर्त्तमान अपीलार्थीगण या उनके पूर्वजों द्वारा कोई अपील या रिवीजन दायर नही किया गया, इसलिए वह आदेश व खतियान उन पर पूर्ण रुप से बाध्यकारी है। अपीलार्थीगण के पूर्वजों द्वारा स्वंय सभी प्रश्नगत भूमि

Scanned with OKEN Scanner

उत्तरवादीगण के पूर्वजों धुमा साहु वगैरह को वर्ष–1935 में ही प्रश्नगत सभी भूमि निबंधित पट्टा द्वारा हस्तांतरित की जा चुकी है और उस पर उत्तरवादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही दखलकार है, तथा उनके नाम पर जमाबंदी भी जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात से ही चलती आ रही है। अपीलार्थीगण का उन भूमि पर किसी प्रकार कोई दावा नही बनता है।

12. अपीलार्थीगण के मेमो ऑफ अपील में यह कथन है कि खाता सं0–16 के कुछ भूमि का खतियान हाल सर्वे में अपीलार्थीगण के नाम पर बना है, परन्तु वह खतियान सन् 1935 ई0 के निबंधित पट्टा को दरकिनार करते हुए बना है और उस खतियान के विरुद्ध संबंधित उत्तरवादीगण द्वारा धारा–87 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अन्तर्गत आपत्ति भी दाखिल की गई है जिसका वाद सं0–37/2017 (कामडारा) है, जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(कैंप कामडारा) के न्यायालय में लंबित है। प्रतिपादित विधि का सिद्धांत है कि खतियान टाइटल का दस्तावेज नही है और मात्र खतियान बनने से किसी का भूमि पर अधिकार नही हो जाता है। प्रश्नगत भूमि पर पूर्वजों का टाइटल था, परन्तु इस वाद में अपीलार्थीगण के पूर्वजो द्वारा वर्ष 1935 में ही प्रश्नगत भूमि हस्तांतरित की जा चंकी है। अंचल अधिकारी कामडारा एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन में अपीलार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा नही पाया गया है। नामांतरण का आदेश केवल और केवल दखल के आधार पर ही पारित किया जा सकता है। अपीलार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर कोई हक व दखल नही है।

13. प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व व बाद से ही उत्तरवादीगण व उनके पूर्वजो के नाम पर चलती आ रही है और यह प्रतिपादित विधि का सिद्धांत है कि लम्बे समय से चलती आ रही जमाबंदी राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त नही की जा सकती है। अपीलार्थीगण का यह कथन है कि खेवट सं0–2 में मात्र 343.21 एकड़ भूमि थी, परन्तु वर्ष–1935 के निबंधित पट्टा में 1045.88 एकड़ भूमि बिक्री की गई है, जो कि निबंधित बिकय पत्र के संदर्भ में संशय उत्पन्न करती है। उत्तरवादीगण का कथन है कि खेवट सं0–2 की 702.67 एकड़ भूमि खोतो साहु वगैरह द्वारा खीरोधर ओहदार वगैरह को जरपेशगी (बंधक) में दी गई थी, जिसका खेवट सं0–3 था। धुमा साहु वगैरह द्वारा उक्त भूमि की बंधक राशि का भुगतान खीरोधर ओहदार वगैरह को किया गया था, जिसका जिक्र निबंधित पट्टा में की गई है। निबंधित पट्टा में कुल 1048.88 एकड भूमि का वर्णन किया गया है।

उत्तरवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बसिया द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील वाद को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

1. खेवट सं0–2 एवं 3 का छाया प्रति।
2. निबंधित पट्टा सं0–651/35 का छाया प्रति।
3. निबंधित पट्टा सं0–651/35 का हिन्दी अनुवाद की छाया प्रति।
4. जमीन्दार द्वारा दाखिल रिट्रन का छाया प्रति।
5. सरकारी मालगुजारी रसीद की छाया प्रति।
6. वाद सं0–11/1985 का आदेशफलक की छाया प्रति।

Scanned with OKEN Scanner

6. वाद सं0–11/1985 का आदेशफलक की छाया प्रति।
7. पार्टीशन सुट सं0–28/50 में पारित आदेश की छाया प्रति।
8. पार्टीशन सुट सं0–28/50 का अंतिम डीग्री का छाया प्रति।
9. ईजराई वाद सं0–31/1959 का दखलदेहानी का छाया प्रति।
10. हाल–सर्वे खतियान का खाता सं0–92 एवं 93 का छाया प्रति।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पक्ष तथा निम्न अपीलीय न्यायालय के अभिलेख के सम्यक अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में कोई ठोस तथ्यात्मक दलील प्रस्तुत नही कर पाए।

अतः निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथोचित मानते हुए अपीलार्थी के म्यूटेशन रिवीजन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न अपीलीय न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संबंधित अंचल अधिकारी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.12.21 16:13:30 +05:30
Location: 192.168.5.105

Scanned with OKEN Scanner